दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, एसी, कुलर, सेनेटरी फिटिंग के सामानों की 25 मई से प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक होम डिलीवरी की मिली अनुमति

❍ **कलेक्टर सिंह ने जारी किया आदेश**

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह द्वारा कोविड पाजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुये रायगढ़ के संपूर्ण सीमा क्षेत्र को 31 मई 2021 तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट अवधि में शर्तो के तहत विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु दी गई अनुमति के अतिरिक्त इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, एसी, कुलर, सेनेटरी फिटिंग से संबंधित सामानों की होम डिलीवरी करने तथा घर जाकर घरेलु सेवायें, मरम्मत करने की अनुमति 25 मई 2021 से प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक दी गई है। दुकान खोलकर व्यवसाय करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा आमजन के लिये भी दुकानें बंद रहेगी।

सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़ । दो व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर एसडीएम खरसिया द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतक के परिजनों को 25-25 हजार रुपये वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिनमें तहसील खरसिया के ग्राम-गोरपार के आर्या उर्फ अंशु राठिया की 16 जनवरी 2021 को मृत्यु होने पर उनके चाचा भूषण राठिया को 25 हजार रुपये तथा तहसील घरघोड़ा के ग्राम-बैहामुड़ा के शोभितराम की 22 दिसम्बर 2016 को मृत्यु होने पर उनकी पत्नी उमा राठिया को 25 हजार रुपये वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

कोरोना मरीजों से अधिक वसूली करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ शिकायत मिलने पर होगी सख्त कार्रवाईः सीएमएचओ

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी में मरीजों के इलाज के लिए राज्य शासन द्वारा चिकित्स व्यय के संबंध में स्पष्ट आदेश मूल्य सूची के साथ प्रेषित किये गये हैं। राज्य में जिन अस्पतालो कोविड-19 मरीजों की चिकित्सा के लिए मान्यता दी गई है। वहां कोरोना मरीजों से विशेषकर निजी चिकित्सा संस्थानों में निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूली करने संबंधी शिकायत आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीरा बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान दी। डॉ. बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम बार कोविड मरीज से अधिक वसूली की शिकायत प्रमाणित होने पर नर्सिंगहोम एक्ट के तहत उक्त चिकित्सा संस्थान के खिलाफ 5 हजार रूपये जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। दूसरी बार शिकायत मिलने पर संबंधित चिकित्सा संस्थान का नर्सिंग होम एक्ट में दिए गए प्रावधान के अनुसार लाइसेंस रद्द होगा एवं दोषी चिकित्सक का पंजीयन नंबर प्रैक्टिसिंग लाईसेंस रद्द किया जाएगा। राज्य शासन का स्वास्थ्य विभाग निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा कोविड मरीजों से जमकर वसूली करने पर कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेगा।

फर्जी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट, दोआरक्षक निलंबित

कोरबा (आरएनएस)। जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी हो रही कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट को लेकर एक मामला सामने आया जिसमें जिला अस्पताल से दो आरक्षकों ने अवैध शराब के आरोपियों को जमानत दिलाने के लिए फर्जी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट हासिल की। यह मामला तब उजागर हुआ जब मानिकपुर चौकी पुलिस द्वारा 21 मई को 47 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़े गए लहूरा यादव और मुकेश सोनी को जमानत देने की बजाय न्यायाधीश ने जेल भेजने के आदेश दिए। जेल वारंट जारी करने के साथ ही पहले इनका कोविड.19 का इलाज कराने कहा गया। आदेश पर दोनों आरोपियों को कोविड-19 अस्पताल ले जाया गया जहां बवाल मचा। दरअसल इन्हें पकड़ने वाले मानिकपुर पुलिस चौकी के आरक्षक योगेश राजपूत एवं दीप नारायण त्रिपाठी ने कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर जमानत दिलवा देने का भरोसा दिलाया था। इसके लिए 21 मई को आरोपियों को लेकर दोनों पहले जिला अस्पताल पहुंचे। आरोपियों के मुताबिक वे गाड़ी में ही बैठे थे और दोनों आरक्षक अस्पताल के भीतर गए। कुछ देर बाद बिना जांच के ही इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर आरक्षक बाहर निकले। रिपोर्ट तो बन गई पर मामला कोर्ट में बिगड़ गया। आदेश के अनुसार दोनों आरोपियों को भर्ती कराने सीपेट कोविड अस्पताल लेकर गए तो बिना कोरोना हुए कोरोना का इलाज कराने की बात पर हंगामा मचा।

बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिये बरतें सावधानी, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवायजरी

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह के दिशा-निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के मार्गदर्शन में कोरोना के तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिये स्वास्थ्य विभाग ने एडवायजरी जारी कर बचाव के लिए रखी जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी।

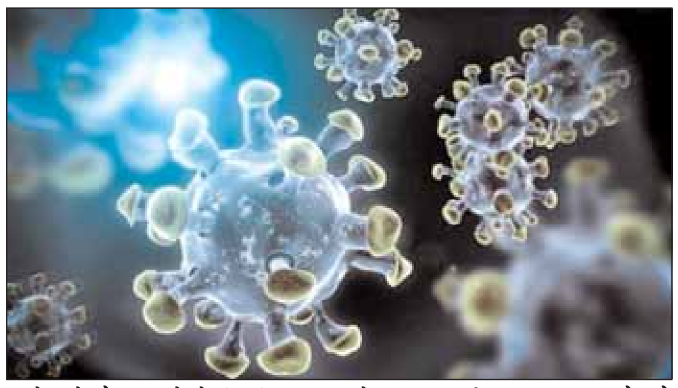

स्वास्थ्य विभाग की एडवायजरी के अनुसार देश के अलग-अलग हिस्सो में कोरोना वायरस का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ा है, तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच बच्चों की भी बड़ी संख्या में संक्रमित होने की घटनायें सामने आयी। जो दिखाता है कि बच्चों को भी उतना खतरा है जितना बड़ो और बूढ़ो को है। कोरोना के नए वेरियंट के कारण बच्चों को भी सांस लेने में दिक्कत, बुखार न उतरना, दस्त लगना, उल्टी और पेट में दर्द, सूखा खांसी, शरीर और पैर में लाल चकते पड़ना, फटे-फटे होंठ, बच्चे में चिड़चिड़ापन, बच्चे के हाथ पैर में सूजन, मांसपेशियों में दर्द, और ज्यादा नींद आना जैसी समस्या हो रही है।

बच्चे को हुआ कोरोना तो माता-पिता 8 जरूरी बातों पर विशेष ध्यान दें-

बच्चों में असामान्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। बच्चे को अपनी तरफ से कोई दवाई न दें। डॉक्टर की सलाह पर बच्चों को विटामिन डी और जिंक की दवा दें, ये दोनों दवाएं कोविड से लड़ने में कारगर है। खुद से बच्चे का सिटी स्केन न कराएं। बच्चे के साथ रहने वाले व्यक्ति को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और सभी जरूरी नियम अपनाने चाहिए। बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आने पर उन्हें अकेला न छोड़े। बच्चे से बार-बार हाथ धोने को कहे उनका हौसला बढ़ाते रहें।

चूकि 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है, इस बार कोविड में खासकर 18 साल से कम बच्चों को ज्यादा इफेक्ट होने की संभावना है इसलिए बेहतर होगा कि आप बच्चों का इस तरह से विशेष सावधानी व ध्यान रखकर सुरक्षित रखें।

❑ **बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आने पर क्या करें-** बच्चे से दूर अलग कमरें में रहें। माता-पिता मास्क पहनें और बच्चों को भी मास्क पहनने कहें। जब तक माता-पिता बच्चे से दूर रहें उस समय के लिए बच्चे की देखभाल करने वालों की पहचान करें। अलगाव की अवधि के अपने बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करें। अपने बच्चे के साथ मोबाइल फोन के माध्यम से जुड़े रहें।

जिंदल और संजीवनी अस्पताल पर लगा 50-50 हजार जुर्माना

» कोविड मरीजों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नही देने पर कलेक्टर भीम सिंह ने की कार्रवाई

रायगढ़ । शासन के निर्देशानुसार पंजीकृत निजी कोविड चिकित्सालयों में भर्ती होने वाले कोविड मरीजों को डॉ.खुबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रदाय किया जाना है। लेकिन जिंदल हॉस्पिटल एवं संजीवनी नर्सिंग होम रायगढ़ द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

कलेक्टर भीम सिंह ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए उक्त दोनों अस्पतालों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड प्रबंधन हेतु आयोजित बैठकों में सभी निजी कोविड अस्पताल संचालकों को डॉ.खुबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ देने के निर्देश दिए थे और लाभ नही देने की स्थिति में कार्यवाही की बात कही थी। गत दिनों आयोजित बैठक में उन्होंने सीएमएचओ को अस्पतालों की जानकारी वेरीफाई करने और जिन अस्पतालों में शासन के निर्देशों के अनुरूप हितग्राहियों को लाभ नही दिया जा रहा है उन पर 50 हजार का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों में योजना अंतर्गत लाभान्वित मरीजों की जानकारी तैयार की गयी। जिसमें पाया गया कि जिंदल हॉस्पिटल और संजीवनी नर्सिंग होम में निर्देशानुसार पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नही दिया गया। जिसके लिए उन पर यह जुर्माना लगाया गया है।

घर के बाहर खड़ी कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने पाई आग पर काबू

रायगढ़। सोमवार की शाम करीब 05:50 बजे चक्रधरनगर राइनो, थाना चक्रधरनगर की पेट्रालिंग को छोटे अतरमुड़ा में घर के बाहर खड़ी एक ब्रेजा कार में आग लगने की सूचना पर रवाना किया गया। जहां रहने वाले अधिवक्ता राजू कालिया के मकान के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लगने से मोहल्ले में अफरा तफरी मची हुई थी। थाने के पेट्रोलिंग स्टाफ तत्काल मौके पर पहुंचकर कार के समीप बिल्डिंग में रहने वालों को घरों से बाहर निकले तथा कुछ पुलिसकर्मी, मोहल्लेवालों के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, इतने में फायर बिग्रेड की वाहन भी मौके पर पहुंची जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में पुलिस और फायर स्टाफ स्टाफ की सूझबूझ से जनहानि होने से बचाया गया।

जिला एवं तहसील मुख्यालय में बाढ़ आपदा राहत के लिये कंट्रोल रूम स्थापित

» संयुक्त कलेक्टर अग्रवाल प्रभारी अधिकारी नियुक्त

रायगढ़ । आगामी मानसून को देखते हुए कलेक्टर भीम सिंह ने बाढ़ आपदा राहत से संबंधित कार्य के लिये जिला एवं तहसीलवार कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए थे। जिस पर कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए इमरजेंसी नंबर जारी किए गए। इस कंट्रोल रूम पर बाढ़ राहत सहित निगरानी रखी जाएगी। कलेक्टर सिंह के निर्देशन में 01 जून 2021 से जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 19 में बाढ़ आपदा राहत कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिसका दूरभाष नंबर 07762-223750 है। जिसमें संयुक्त कलेक्टर सुमित अग्रवाल मोबा.नं. 99079-86830 को बाढ़ आपदा राहत शाखा के प्रभारी अधिकारी बनाये गये है तथा तहसील स्तर पर बने कंट्रोल रूम में नायब तहसीलदार को नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है। साथ ही जिला कार्यालय के कंट्रोल रूम में तीन पालियों में नगर सैनिकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिनका मोबाइल नंबर 9165723499-9340958678-9907731703-78998309287-7974539775-6264202736 है।

तहसीलवार बने बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम

तहसील रायगढ़ के कंट्रोल रूम 07762-222133 में नायब तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर मोबा.91315-80227 को कंट्रोल रूम प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह पुसौर-07762-222862 नायब तहसीलदार आयुष तिवारी मोबा.90986-79370, बरमकेला-07768-265041 नायब तहसीलदार श्रीमती प्रेमा किसपोट्टा मोबा.96170-66079, सारंगढ़-07768-233708 नायब तहसीलदार सुश्री राकी एक्का मोबा.87703-40536, खरसिया-07762-272757 नायब तहसीलदार अरपन कुर्रे मोबा.97542-13789, घरघोड़ा-07767-284861 प्रभारी तहसीलदार हितेश कुमार साहू मोबा.96699-24292, तमनार-07767-281741 नायब तहसीलदार सुश्री अनुराधा पटेल मोबा.87708-10450, लैलूंगा-07767-274275 नायब तहसीलदार लीलाधर चन्द्रा मोबा.99077-48330 एवं तहसील धरमजयगढ़ के कंट्रोल रूम 07767-266232 में नायब तहसीलदार उमेश्वर बाज मोबा.83499-87189 को कंट्रोल रूम प्रभारी बनाते हुये ड्यूटी लगाई गई है।

औरदा, सूती व तेलीकोट के विवाह घरों में जाकर खरसिया पुलिस ने दी समझाइश

खरसिया। थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक एस.आर. साहू द्वारा थानाक्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाकर ग्राम कोटवार एवं सरपंचों को शादी के लिए एसडीएम से परमीशन लेकर सीमित लोगों की उपस्थिति में विवाह सम्पन्न कराये जाने निर्देशित किया गया है। साथ ही वे स्टाफ के साथ शादीघरों में जाकर व्यवस्था देख रहे हैं। उनके द्वारा लोगों को प्रशासन के नियमों का पालन करने की हिदायत दिया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 23/05/2021 को उनके द्वारा ग्राम औरदा, सूती और तेलीकोट में शादी घरों को जाकर चेक किया गया। ग्राम औरदा में घनश्याम गबेल तथा ग्राम सूती में रामलाल सिदार उनकी बेटी की शादी हो रही थी। ग्राम तेलीकोट में नरेश महिष और शिवधन यादव के घर विवाह कार्यक्रम था, जहां घरवालों को खरसिया पुलिस द्वारा समझाइश दी गई।

31 मई तक धान का उठाव पूरा करें मिलर्स-कलेक्टर भीम सिंह

» वर्चुअल बैठक में कलेक्टर सिंह ने दिए निर्देश

रायगढ़ । 31 मई तक राइस मिलर्स को जिले की समितियों से धान का उठाव पूरा करना है। अतः सभी मिलर्स अपनी मिलिंग क्षमता के हिसाब से धान का उठाव सुनिश्चित करें। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने आज राइस मिलर्स की वर्चुअल बैठक में कही।

उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश हैं कि धान उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव 31 मई तक पूरा करना है। इस हिसाब से सभी मिलर्स को काम करना होगा। उठाव के लिए जो डीओ कटे हैं उनके अनुसार धान का उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी समितियों से समान रूप से धान का उठाव करें। इसके लिए समिति प्रबंधकों से पहले से समन्वय बना लें जिससे गाड़ी वहां पहुंचने पर लोडिंग का काम जल्द पूरा हो। बैठक के दौरान कुछ मिलर्स ने समिति में हमालों की कमी की बात रखी। कलेक्टर सिंह ने उप पंजीयक सहकारिता और खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समितियों में पर्याप्त संख्या में हमालों की व्यवस्था करें। बैठक में मिलर्स ने भी शासन के निर्देशों के अनुसार 31 मई तक पूरा धान उठाने की बात कही। बैठक में जिला खाद्य अधिकारी जी.पी. राठिया, सहायक खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह, उप पंजीयक सहकारिता सुरेन्द्र गोंड़, डीएमओ नान गुप्ता व सहकारी बैंक के अधिकारियों के साथ जिले के राइस मिलर्स शामिल हुए।

महंगाई की मार से पेंशनर्रो का बजट गड़बड़ाया, महंगाई के लिए केन्द्र और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार

» केन्द्र के समान जुलाई 19 से 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता का एरियर सहित भुगतान करने की मांग

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में लगातार पेट्रोलियम पदार्थो की मंहगाई से सेवानिवृत्त पेंशनरों और परिवार पेंशनरों में भारी चिन्ता व्याप्त हो गई है, कोरोना काल मे महंगाई के मार से घर -बाहर के सारे बजट गड़बड़ा गया है। इस बढ़ती और सबके ऊपर चढ़ती हुई महंगाई के लिये केंद्र और राज्य दोनों सरकार जिम्मेदार है उक्त आरोप छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेशअध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव एवं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाही जिले के सचिव तथा पेंशनर्स फेडरेशन के जिला प्रवक्ता प्रकाश नामदेव ने जारी सँयुक्त विज्ञप्ति में लगाया है।

जारी सँयुक्त विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव और फेडरेशन से जुड़े संगठन क्रमशः भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यसवंत देवान, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, तथा गंगाप्रसाद साहू , डॉ व्ही व्ही भसीन, सी एस पांडेय,डॉ पी आर धृतलहरे, व्ही टी कराडे,लोचन पांडेय, डॉ वाई सी शर्मा,विद्या देवी साहू , यू के चौरसिया,डी के त्रिपाठी, सी एल दुबे,शरद अग्रवाल,गायत्री गोस्वामी, आर सी पटेरिया,जे पी धुरन्धर, डॉ एस पी वैश्य, उर्मिला शुक्ला, ज्ञानचंद पारपियानी,बी डी उपाध्याय, राकेश वास्तव, एन एच खान,द्रोपदी यादव,डॉ एस पी वैश्य,आर के नारद,पी एल सिंह,एम एन पाठक,डॉ ज्ञानेश चौबे, एस पी एस वास्तव, विष्णु तिवारी,शांति किशोर माझी ,कलावती पाण्डे,सी एल चन्द्रवंशी, इंदु तिवारी,तीरथ यादव,रमेश नन्दे, प्रदीप सोनी,,असीमा कुंडू , आशा वैष्णव,पी एल टण्डन,रोजलिया लकड़ा,एल एन साहू,अशोक जैन,अरुण दुबे,राजेश्वर राव भोसले,वन्दना दत्ता,श्रीमती बसन्त नामदेव,अनूपनाथ योगी,गिरीश उपाध्याय,जे आर सोनी, सुरेन्द्र नामदेव,अनिल शर्मा,आलोक पांडेय,व्ही एस जादौन,बी एल पटले,,बी डी यादव,वीरेन्द्र थवानी, डी के पाण्डे,आनन्द भदौरिया,बी के सिन्हा, एस डी बंजारे,गुलाब राव पवार,भूषण लाल देवांगन, खेमिचन्द मिश्रा,एस के चिलमवार,बिक्रम लाल साहू, एस डी वैष्णव,हीरालाल नामदेव,अजीत गुप्ता,द्वारका सिन्हा,ओ पी भट्ट,विजय शंकर दुबे,सुभाष गायकवाड़,प्रभुदयाल पटवा,रामकुमार थवाईत,रमेश कुमार शर्मा, डी आर लांझेकर,के एन कश्यप,के के बंछोर,एस एस तिवारी, प्रकाश नामदेव, रामनरेश शर्मा,अनुपम जे मैथ्यू, शोभनाथ तिवारी,एस एन चौकसे, एस एस खुसरो आदि ने जारी सँयुक्त विज्ञप्ति में बताया है कि केंद्र के समान जुलाई 19 से बकाया 5?प्रतिशत महंगाई भत्ता राज्य सरकार वित्तीय संकट के नाम पर दबाए बैठी है और इसके बाद प्राइज इंडेक्स के हिसाब से जनवरी 20 में 4, जुलाई 20 में 3 प्रतिशत,और जनवरी 21 में 4 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है।इसतरह महंगाई दर जनबरी 21 के हिसाब से अनुमानित कुल 28 प्रतिशत बढ़ चुकी है और राज्य के पेंशनरों एवं कर्मचारियों को केवल 12 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा। जबकि केंद्र के अनुसार राज्य के आईएएस जुलाई 19 से 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता नगद भुगतान ले रहे हैं।जो राज्य के पेंशनरों तथा कर्मचारियों से 5 प्रतिशत अधिक है।अतः राज्य के पेंशनरों को भी केन्द्र के समान बकाया 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता की राशि एरियर्स सहित तत्काल भुगतान करने की मांग की गई है।

जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि पेट्रोल डीजल लगभग 100 रुपये प्रतिलीटर की ओर है और गैस सिलेंडर भी लगभग 1000 रुपये को छूने जा रहा है। इसके कारण परिवहन का माल भाड़ा बढ़ने से चावल-आटा-दाल -तेल का भाव आसमान की ओर है। सब्जी भाजी का दाम भी अब इतना हो गया है कि सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों की हालत पतली हो गई है।

पेंशनरों ने केन्द्र और राज्य सरकार से मंहगाई को काबू में करने की मांग करते हुए पेट्रोलियम पदार्थो से अपना अपना टेक्स हटाने का आग्रह किया है। ताकि देश-प्रदेश को महंगाई से राहत मिल सके।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480